

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) के तहत 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 60,000/- (साठ हजार रूपए) एवं 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सुशील कुमार, 26, कारी चौधरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	काजल देवी (पत्नी)	991 09.07.2026 एवं 1605 07.12.2024	ग्राम-महिसरहो, पं०-सरौनी, वार्ड-10, प्र०-महिषी, जिला-सहरसा 9523892256	2487000 1001363 63	PNB PUNB02 48700	रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु (सेफ्टी टैंक में सेट्टिंग खोलने के कारण) राजगिरि का हेल्पर
2	स्व० दिनेश सिंह, 52, बिन्देश्वरी सिंह, पिछड़ा वर्ग	अनिता देवी (पत्नी)	991 09.07.2026 एवं 270 08.03.2025	ग्राम बड़ा शरना, पं० बाड़ा, वार्ड 01, प्र०-सत्तरकटैया, थाना-बिहरा, जिला-सहरसा 6395525899	3233173 1142	SBI SBIN001 8037	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मनरेगा कार्य
3	स्व० महेश्वर यादव, 55, विलो यादव, पिछड़ा वर्ग	ननकी देवी (पत्नी)	991 09.07.2026 एवं 270 08.03.2025	ग्राम-सहरवा, पं० रातार, पं० खादीपुर, प्र० रातारकटैया, थाना बिहरा, जिला सहरसा 9608559086	3228902 0076	SBI SBIN000 4930	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक

कुल राशि :-रू० 1,60,000/-

(एक लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGSके माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

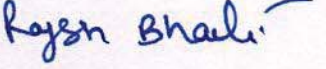
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-22/2025(अंश)-1028 पटना, दिनांक :- 17/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGSके माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं

हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, सहरसा /उप श्रमायुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


06/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक